

06
24-2021

ग्राहक की ओर से जारी किया जा

या प्रथम चरण पर डेबिट किया जा

एकमात्र की ओर से जारी किया जा

या प्रथम चरण पर डेबिट किया जा

तलब की गई। वकील जार्जी ने आ.पत्र
 न. 2. काबत विद्वा पैरा कर विवेक किया
 कि उक्त उक्ताण में पक्षकारान के बीच
 आपसी समझौदा से राजीनामा हो गया
 है। जार्जी अपनी न. 2. विद्वा करना चाहता
 है तथा डाका से राजीनामा पैरा कर दिया
 जावेगा। अतः आ.पत्र टी. 0 अदि. को
 विद्वा करने की अनुमति उदात्त करने के
 आदेश फलामें। वकील जार्जी का आ.पत्र
 न. 2. काबत विद्वा स्वीकार किया जाने योग्य
 पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया
 आ.पत्र टी. 0 अदि. इसी छतर पर drop
 की जाती है। कार्यवाही उक्ताण में डाको कोई
 कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फेंशल
 श्रमात होकर नम्वर से काम हो तथा चाद तकरीर
 दाखिल इफ्तत हो। यह निर्णय भाज फिनांक 24/06/21
 को जेटी हस्ताक्षर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित
 खुले न्यायालय में जुनाया गया।



24/06/21
 (राजेश कुमार) RAS
 उपखण्ड अधीक्षक
 खण्डला (सीकर)